



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के
मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पोर्ट क्षेत्र,
विशाखापट्टणम - 530035

Office of the Chief Commissioner,
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
1st Floor, GST Bhavan, Port Area,
Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 14/2024 (प्रधान हवलदार)
Establishment Order (N.G.O) No. 14/2024 (Head Havaladar)
दिनांक 16 जुलाई 2024 Dated 16 July 2024

श्री डी अशोक कुमार, प्रधान हवलदार, गुंटूर लेखा परीक्षा आयुक्तालय को विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक तैनात किया जाता है।

Shri D Ashok Kumar, Head Havaladar, Guntur Audit Commissionerate is hereby posted to Visakhapatnam CGST Commissionerate with immediate effect and until further orders.

2. उक्त प्रधान हवलदार को, 25.07.2024 को, या उससे पहले, अपने नए पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करना है, ऐसा न करने पर उनको 26.07.2024 को उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त माना जाएगा। संबंधित आयुक्तालय इस कार्यालय को उनके कार्यमुक्ति/कार्य ग्रहण करने की तिथि के बारे में 29.07.2024 तक सूचित करेंगे।

The above Head Havaladar is to join his new place of posting on or before 25.07.2024 failing which he would be deemed to be relieved from his present place of posting on 26.07.2024. The date of relief / joining shall be intimated to this office by respective Commissionerates by 29.07.2024.

3. इसके अलावा, आंतरिक पोस्टिंग आदेश जारी करते समय और प्रभार आवंटित करते समय, सभी आयुक्तालयों को डीजीएचआरडी के पत्र एफ.सं.243/बीवीएस/एचआरडी (एचआरएम-1)/विविध सेल/डीजी सेल/2023 दिनांक 14.09.2023 और इस कार्यालय के पत्र जीसीसीओ/II/(3)/186/2023- स्थापना दिनांक 14.12.2023 में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना है।

Further, while issuing internal posting orders and allocating charges, all Commissionerates are to strictly adhered to instructions contained in DGHRD letter F.No.243/BVS/HRD (HRM-I)/ Misc. Cell / DG Cell / 2023 dated 14.09.2023 and this office letter GCCO / II / (3) / 186 / 2023- Estt dated 14.12.2023.

4. प्रधान हवलदार के संवर्ग में एजीटी 2024 के लिए प्राप्त सभी अभ्यावेदन इस स्थापना आदेश के जारी होने के साथ निस्तारित किए जाते हैं। All the representations received for AGT 2024 in the cadre of Head Havaladar stand disposed with the issue of this Establishment Order.

5. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए। Necessary entries may be made in relevant records.

6. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

7. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

M Sreekanth
16/07/2024

(एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(3)/64/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM-Part(3)]

सेवा में

संबंधित व्यक्ति को (संबंधित आयुक्तालय से) ।

To

The Individual (through respective Commissionerate)

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर लेखा परीक्षा / हैदराबाद सीजीएसटी (संनिप्रा) आयुक्तालय।
2. मु.ले. अधिकारी / आ सं अ विशाखापट्टणम जीएसटी / गुंटूर लेखा परीक्षा।
3. वेतन एवं ले. अधिकारी, विशाखापट्टणम।
4. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:-

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Guntur Audit / Hyderabad (CCA) Commissionerate.
2. CAO / DDO Visakhapatnam CGST / Guntur Audit
3. PAO of Visakhapatnam .
4. Notice Board/website/Stock file.